फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय – अपर जिला न्यायाधीश सं 02, केकडी, जिला अजमेर

ललता वगैरह **बनाम** हंसराज वगैरह

दीवानी वाद सं 36/18 (10/15)

सीआईएस संख्या 45/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2025	वादीगण अनुपस्थित। वादीगण के अधिवक्ता श्री हेमंत जैन उपस्थित। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री एस.के. दाधीच एवं श्री मदन गोपाल चौधरी उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। इस आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से दिनांक 06.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (ए) (3) सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब वादीगण की ओर से दिनांक 27.08.2025 को पेश किया गया है। योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03 का तर्क रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात 1. प्रमाणित प्रति बक्षीशनामा दिनांक 30.03.1962 2. प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल 3. प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2067–2070 4. प्रमाणित प्रति नामान्तरण रजिस्टर 5. प्रमाणित प्रति अपील संख्या 5/15 अंतर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट मय आदेशिका बउनवान ललता बनाम हंसराज 6. प्रमाणित प्रति अपील संख्या 6/15 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट मय आदेशिका बउनवान ललता बनाम हंसराज वगैरह 7. प्रमाणित प्रति अपील संख्या 07/15 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट मय आदेशिका बउनवान ललता बनाम हंसराज वगैरह 8. प्रमाणित प्रति वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 आर.	

	टी.ए. बउनवान ललता बनाम हंसराज वगैरह मय आदेशिका। उक्त दस्तावेजात पूर्व में भूल एवं सहवनवश प्रस्तुत नहीं किये जा सके। उक्त वर्णित दस्तावेजात वाद वर्णित जायदाद से संबंधित है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रतिवादी के पास पूर्व में जानकारी नहीं होने से उपलब्ध नहीं थी, वादी साक्ष्य के दौरान वादिया ने भी उक्त दस्तावेजात के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई, ऐसे में प्रतिवादी को जानकारी होते ही प्रतिवादी ने प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त कर अविलम्ब प्रस्तुत की है, जो रिकॉर्ड पर लेने योग्य है। उक्त दस्तावेजात वाद में महत्वपूर्ण दस्तावेजात है, जिनको पत्रावली में रिकॉर्ड पर लिया जाकर साक्ष्य में प्रदर्शित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने एवं साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता वादीगण का तर्क रहा है कि प्रतिवादी स्वयं साक्ष्य में परीक्षित हो चुके हैं तथा पत्रावली में दिनांक 06.08.2025 को प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। उपरोक्त दस्तावेजात इस प्रकरण में सुसंगत नहीं है। प्रतिवादी ने साक्ष्य वादी समाप्त होने के उपरांत प्रकरण में देरी करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो पुनः विचारण के समान होगा। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी की ओर से जो दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये हैं, वे वर्ष 1962 का बक्शीशनामा, जमाबंदी संख्या 2067–2070, अपील संख्या 5/15 अपील संख्या 6/15 व 7/15 की	

	प्रमाणित प्रतियां मय आदेशिकाएं, जो धारा 75 एल. आर.एक्ट एवं वाद पत्र धारा 88, 188, 209 आर.टी.ए. एक्ट से संबंधित है, जिनकी कार्यवाहियां राजस्व न्यायालय में चली है तथा हस्तगत वाद विवादित जायदाद के संबंध में रिलीज डीड तथा विक्रय पत्र को अवैध व शून्य घोषित करवाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में पेश किया गया है तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजात इस प्रकरण में सुसंगत एवं आवश्यक होना प्रतीत नहीं होते हैं। प्रतिवादी के अनुसार उपरोक्त दस्तावेजात के संबंध में पूर्व में उसे जानकारी उपलब्ध नहीं थी लेकिन यह संभव नहीं है कि वर्ष 1962 तथा वर्ष 2015 के दस्तावेजात के संबंध में प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिये उक्त कारण उचित प्रतीत नहीं होता है। यहां यह तथ्य भी गौरतलब है कि वर्तमान में साक्ष्य वादी समाप्त होने के पश्चात प्रतिवादी डी.ड. 01 कैलाश तथा गवाह रामधन की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है एवं प्रतिवादी ने उपरोक्त दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लेकर इन्हें साक्ष्य में ग्राहय किये जाने का निवेदन भी किया है। यदि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो इसके बाद पुनः प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी से पुनः उक्त दस्तावेजात को साबित करने के लिये पुनः साक्ष्य हेतु तलब किया जायेगा, तत्पश्चात उपरोक्त दस्तावेजात व साक्ष्य के खंडन में वादीगण की ओर से पुनः साक्ष्य पेश की जायेगी। इस प्रकार यह प्रकरण पुनः विचारण के प्रारम्भिक स्तर पर पहुंच जायेगा। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी की ओर से पर्याप्त अवसर होने के पश्चात भी उक्त दस्तावेजात पत्रावली पर पेश नहीं किये गये तथा यह जाहिर होता है कि प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो कि इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से दिनांक	

	06.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 (ए) (3) सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण हेतु काफी अवसर दिये जा चुके हैं। न्यायहित में एक अंतिम अवसर और दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण दिनांक.....को पेश हो।	